न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 17/24 दायरा दिनांक 04/07/2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–छीता पुत्र हरचन्दी जाति सहरिया निवासी बडारा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

2– प्रेम पुत्री हरचन्दी जाति सहरिया निवासी बडारा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0 प्रार्थीगण

बनाम

1– दलसिंह पुत्र नामलूम जाति भील निवासी जाबरा (खटका) तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

2–स्टेट आफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला–बारां राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 21.04.2025

उपस्थित – प्रार्थीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थीगण की ओर से – एकपक्षीय

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर में आराजी ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा दर्ज है। प्रार्थीगण वहैसियत कृषक उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वर्णित भूमि को आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज हो काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीकम 1 भील जाति का झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो गैंग बनाकर जबरन ताकत के बल पर सरकारी भूमि को हांककर काबिज हो जाते है। अप्रार्थीकम 1 अपने सहयोगियों के साथ गत वर्ष विवादित भूमि पर आया व उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने को सरकारी भूमि होना बताकर कब्जा करने को धमकाने लगा। प्रार्थीगण ने विवाद से बचने हेतु आवेदन किया हल्का पटवारी ने मौका देखा व विवादित भूमि प्रार्थीगण की होना प्रमाणित हुआ। दिनांक 23.06.2024 को अप्रार्थीकम 1 अपने सहयोगियों को लेकर विवादित भूमि पर कबजा करने की नीयत से आया। प्रार्थीगण को धमकाते हुये जबरन हंकाई हेतु ट्रेक्टर चलाने लगा। प्रार्थीगण ने पुलिस को मोबाइल पर सूचना दी [illegible] 1 उसके सहयोगियों समेत भाग गया। जाते जाते धमकी [illegible] को बेदखल कर कब्जा करके रहेगा। अप्रार्थीकम 1 सरकारी भूमि का हवाला देकर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी [illegible] को आमादा है जिस[illegible] प्रार्थीगण के हक काश्त को भारी आसन्न संकट पैदा हो गया है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला है। सुविधा का सन्तुलन है। अतः दौराने दावा अप्रार्थीकम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि अप्रार्थीकम 1 विवादित भूमि ग्राम बडारा हल्का राजपुर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:28 IST
Reason: SelfAttested

21.04.2025

शाहाबाद में ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, न अन्य से करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद संवत 2072 से 2075 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा प्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदारी की हैं, जिस पर प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत 2072 से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार विवादित आराजी प्रार्थीगण के खाते की होने से प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया साबित होता है। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है, जिसकी ओर से प्रार्थनापत्र का कोई जबाव पेश नहीं होने से प्रार्थनापत्र के तथ्यों का कोई खण्डन नहीं है और प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया साबित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय होने तक अप्रार्थी कम 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा ग्राम बडारा तहसील शाहावाद बावत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, न अन्य से करावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

21.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:28 IST
Reason: SelfAttested